



अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण



विषय सूची

क्रमांक	सामग्री	समय	स्लाइड संख्या
1	परिचय	25	5-8
2	UP112 में अग्नि दुर्घटनाएं	25	9-13
3	लक्ष्य	15	14
4	उद्देश्य	15	15
5	टाइप / सब टाइप	35	16-18
6	अग्निशमन सेवा के साथ यूपी 112 का एकीकरण	20	19
7	आग के तत्व	20	20 - 21
8	घरेलू ज्वलनशील पदार्थ एवं वस्तुएं	25	22 - 27
9	वीडियो	20	28
10	आग लगने पर क्या करें	15	29-30

विषय सूची

क्रमांक	सामग्री	समय	स्लाइड संख्या
1	आग का वर्गीकरण (अग्नि शामक के आधार पर)	35	31- 37
2	अग्निशमन के सिद्धांत	20	38
3	अग्निशामक यंत्रों के प्रकार	40	39 - 45
4	अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने का तरीका	20	46
5	वीडियो	15	47
6	आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने वाली प्रतिक्रियाएँ	15	48 - 50
7	सावधानियां	15	51
8	स्प्रिंकलर सिस्टम	15	52
9	अग्नि दुर्घटना में PRV द्वारा उठाए जाने वाले	45	53- 64


विषय सूची

क्रमांक	सामग्री	समय	स्लाइड संख्या
12	अग्नि सम्बन्धी क़ानूनी प्रावधान	30	71- 75
13	अग्नि सम्बन्धी मामलों में PRV कर्मियों को आने वाली समस्याएँ	15	77
14	निष्कर्ष	15	76
15	सन्दर्भ	15	77



परिचय

- आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप हमें लपटें, ताप तथा धुआँ प्राप्त होते हैं. इस प्रक्रिया के लिए ज्वलनशील पदार्थ (ईंधन), उचित तापमान तथा ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है
- नियंत्रित आग मानव समाज एवं इसके विकास के लिए अनिवार्य है परन्तु, जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो अत्यंत घातक सिद्ध होती है



परिचय

- प्रतिवर्ष अग्नि दुर्घटनाओं के कारण व्यापक जन तथा धन की हानि होती है। आग से न सिर्फ मनुष्य वरन पशु-पक्षी, पर्यावरण आदि भी प्रभावित होते हैं
- अग्नि दुर्घटनाओं के कारण प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों ही हो सकते हैं परन्तु इन दुर्घटनाओं का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि अधिकतर अग्नि दुर्घटनाएं मानवीय चूक का परिणाम हैं




राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार


- भारत में हर साल औसतन लगभग 13,500 मृत्यु केवल आग लगने या इससे जुड़े हुए कारणों से होती हैं।
- अग्नि दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग 64% महिलाएँ होती हैं
- कारखानों के मुकाबले आवासीय भवनों में आग ज्यादा लगती है।




यू०पी०112- में 01st Apr 2023 to 31st March 2024 अग्नि दुर्घटनाएं सम्बन्धित आकड़े




यू०पी०112- में 01st Apr 2023 to 31st March 2024 अग्नि दुर्घटनाएं सम्बन्धित आंकड़े



यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 अग्नि दुर्घटनाएं सम्बन्धित आंकड़े




यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 अग्नि दुर्घटनाएं सम्बन्धित आंकड़े



यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 अग्नि दुर्घटनाएं सम्बन्धित आंकड़े

Extra Ordinary Fire-198




यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 अग्नि दुर्घटनाएं सम्बन्धित आंकड़े



यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 अग्नि

Medium Fire-15759
Small fire-611





लक्ष्य

इस सत्र का लक्ष्य आपको अग्नि के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना तथा अग्नि दुर्घटना के दौरान उचित प्रक्रिया से परिचित कराना है



उद्देश्य

इस सत्र के पश्चात आप निम्न में सक्षम होंगे:

- अग्नि दुर्घटना की स्थिति में उचित कदम उठाने में
- अग्नि दुर्घटना की स्थिति में जान के नुकसान को कम करने में
- सम्बन्धित संस्थाओं के साथ प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने में
- दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को उचित सहायता देने में

ACC_FIRE (आग की दुर्घटना)

- ACCIDENT FIRE
- MEDIUM_FIRE
- SMALL_FIRE
- UNKNOWN
- MAJOR_FIRE
- ATTEMPTED MURDER
- THREAT IN PERSON
- DISPUTE
- SOS
- FIRING ACCIDENT


EXT_ORD_SER_FIRE (असाधारण दुर्घटना सीरियस फायर)

- EXT_ORD_SER_FIRE
- EXTR_ORD_SER_FIRE
- MEDIUM_FIRE
- SMALL_FIRE

MAJOR_FIRE (मेजर फायर)

- MAJOR_FIRE
- MEDIUM_FIRE (मध्यम आग)
- MEDIUM_FIRE
- SMALL_FIRE (समाल फायर)
- SMALL_FIRE
- SUICIDE ATTEMPT

अग्निशमन सेवा के साथ यूपी 112 का एकीकरण



Fire - Integration



आग के तत्व



आग के तत्व

- आग के अस्तित्व में तीन तत्वों की आवश्यकता होती है: ऑक्सीजन, गर्मी और ईंधन
- ईंधन एक ठोस, तरल अथवा गैसीय पदार्थ हो सकता है
- प्रमुख ताप स्रोत जो ईंधन में दुर्घटनावश आग लगाने के कारक हैं, में बिजली, सिगरेट/बीड़ी, काटने की मशीन तथा वेल्डिंग मशीन से उत्पन्न होने वाली चिंगारियां हैं
- ऑक्सीजन लगभग हमेशा मौजूद होती है क्योंकि हमें इससे सांस लेने में सहायता



घरेलू ज्वलनशील पदार्थ एवं वस्तुएं

घरों में पाए जाने वाली ज्वलनशील पदार्थ एवं वस्तुएं

- गैस सिलेंडर
- केरोसिन
- चूल्हे की लकड़ी व उपले
- विभिन्न कीटनाशक स्प्रे
- परफ्यूम एवं डिओ
- कागज



घरेलू ज्वलनशील पदार्थ एवं वस्तुएं

घरों में पाए जाने वाली ज्वलनशील पदार्थ एवं वस्तुएं

- कपड़ा
- फर्नीचर
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
- घी, तेल तथा अन्य खाना पकाने के माध्यम
- प्लास्टिक, आदि



औद्योगिक तथा व्यावसायिक ज्वलनशील वस्तुएं एवं पदार्थ

- पेट्रोल, डीज़ल, तथा अन्य ज्वलनशील रसायन
- विभिन्न कीटनाशक स्प्रे
- परफ्यूम एवं डिओ
- कागज/ लकड़ी
- कपड़ा



औद्योगिक तथा व्यावसायिक ज्वलनशील वस्तुएं एवं पदार्थ

- फर्नीचर
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
- घी, तेल तथा अन्य खाना पकाने के माध्यम
- प्लास्टिक, आदि



उच्च अग्नि जोखिम वाले व्यवसाय

- पेंट तथा रसायन उद्योग
- आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग
- कपड़ा उद्योग
- कागज़ उद्योग
- चीनी मिल




उच्च अग्नि जोखिम वाले व्यवसाय

- रिफाइनरी तथा पेट्रोल पम्प
- गैस एजेंसी व गोदाम
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, आदि



**WATCH THIS
VIDEO!**



आग लगने पर क्या करें

- आग लगने पर तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दें
- आग लगने पर सबसे पहले इमारत की अग्नि चेतावनी की घंटी (फायर अलार्म) को सक्रिय करें
- आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग न करें, केवल सीढ़ियों का ही प्रयोग करें
- जिस जगह आग लगी हो, वहां की इलेक्ट्रिक सप्लाइ स्विच ऑफ कर दें
- यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़केगी, समीप पर जल नगा और सूखे कपड़े (सेल)



If your clothes catch on fire,


STOP



DROP




ROLL



आग का वर्गीकरण (अग्निशामक यंत्र के आधार पर)

- आग का वर्गीकरण उसके ईंधन (स्रोत) के आधार पर किया जाता है
- उक्त आधार पर आग को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि निम्नवत हैं



अग्नि के प्रकार - श्रेणी A

- यह प्रायः कपड़ा, कागज़, लकड़ी, कोयला, रबड़ तथा इस प्रकार के अन्य ठोस तथा शुष्क पदार्थों में लगने वाली आग है
- इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी, रेत तथा मिट्टी आदि का प्रयोग किया जा सकता है
- आग बुझाने की प्रक्रिया धुआँ समाप्त होने तक जारी रखते हैं
- आग बुझते ही प्रभावित सामग्री को घटनास्थल से दूर हटा देते हैं



अग्नि के प्रकार - श्रेणी B

- यह प्रायः ज्वलनशील तरल पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल, अलकोहॉल, थिनर, पेंट तथा अन्य तैलीय पदार्थों में लगने वाली आग है
- इस वर्ग की आग में प्रोपेन तथा बूटेन आदि गैसों में लगने वाली आग भी शामिल है
- इस प्रकार की आग पर पानी का प्रयोग कोई लाभ नहीं देता है
- इसमें हम रेत, मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं अथवा फोम व पाउडर वाले अग्नि शमन यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं

B



अग्नि के प्रकार - श्रेणी C

- इस प्रकार की आग लगने का कारण ज्वलनशील गैस, जैसे कि LPG , CNG इस श्रेणी की आग में पानी का प्रयोग वर्जित होता है
- ज्वलनशील गैस: जैसे हाइड्रोजन, ब्यूटेन या मीथेन
- सर्वप्रथम प्रभावित स्थान का विद्युत प्रवाह बंद करें
- तत्पश्चात रेत अथवा मिट्टी का प्रयोग कर आग को नियंत्रित करें



अग्नि के प्रकार - श्रेणी D

- श्रेणी D की आग धातु (Metal) में लगने वाली आग है
- केवल कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, लिथियम, प्लूटोनियम और कैल्शियम ही ज्वलनशील अथवा दहनशील होती हैं
- श्रेणी D की आग में प्रायः मैग्नीशियम और टाइटेनियम भी शामिल होते हैं
- इस प्रकार की आग पर पानी प्रभावहीन होता है
- इस प्रकार की आग पर पाउडर वाले अग्नि शमन यंत्र सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं



अग्नि के प्रकार - श्रेणी F

- कई स्थानों पर इसे श्रेणी K आग भी कहा जाता है
- भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल तथा वसा में लगने वाली आग इस श्रेणी में आती है
- यह आग प्रायः रसोईघर से फैलती है
- इस आग पर पानी का प्रयोग वर्जित है
- इस आग को बुझाने में रेत तथा मिट्टी प्रभावी सिद्ध होती है
- इस प्रकार की आग में कार्बन डाई ऑक्साइड या पाउडर वाले अग्निशमन यंत्र प्रयोग किए जाते हैं



आग का वर्गीकरण

- श्रेणी A - दहनशील सामग्री: लकड़ी, कागज और कपड़े जैसे ज्वलनशील ठोस
यह छः वर्गों में बांटा

गता है

पदार्थों के कारण ।

- श्रेणी B - ज्वलनशील तरल पदार्थ: जैसे पेट्रोल, टर्पेन्टाइन या पेंट ।

- श्रेणी C - ज्वलनशील गैसों: जैसे हाइड्रोजन, ब्यूटेन या मीथेन ।

- श्रेणी D - दहनशील धातुएं: मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम या पोटेशियम जैसे रसायन

|

- श्रेणी E - विद्युत उपकरण: एक बार बिजली के सामान को हटा दिए जाने के

बाद, आग की श्रेणी बदल जाती है ।

अग्नि बुझाने के सिद्धांत

- ऑक्सीजन कम कर के आग बुझाना (स्मोदरींग
मैथेड)
- ईंधन को हटा कर आग बुझाना (स्टारवेशन
मैथेड)
- ताप कम कर के आग बुझाना (कूलिंग
मैथेड)

अग्नि शामक यंत्रों के प्रकार



पानी वाले अग्नि शामक

- इस प्रकार का अग्नि शामक श्रेणी A आग में उपयोगी होता है
- यह आग के ऊपर पानी का छिड़काव करता है जिससे आग के लिए आवश्यक तापमान कम हो जाता है तथा आग बुझ जाती है
- इसका प्रयोग श्रेणी A के अतिरिक्त किसी अन्य श्रेणी की आग में नहीं करना चाहिए



फोम वाले अग्नि शामक

- इस प्रकार के अग्नि शामक श्रेणी A तथा B की आग के लिए उपयुक्त होते हैं
- यदि श्रेणी C की आग से हम कम से कम 1 मीटर की दूरी बना सकें तो यह इस श्रेणी की आग में भी उपयोगी होते हैं
- इनका उपयोग श्रेणी F की आग में वर्जित होता है
- इनके प्रयोग से प्रभावित स्थान पर फोम की एक परत निर्मित हो जाती है जो आग तक अक्सीजन पहुंचने से रोकती है तथा उस स्थान को ठंडा करती है
- इसके द्वारा बुझाई गई आग के पुनः प्रज्वलन की



पाउडर वाले अग्नि शामक

- इस प्रकार का अग्नि शामक पाउडर फैलाने के लिए प्रायः नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करता है
- पाउडर एजेंट आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम फॉस्फेट से बना होता है
- यह एजेंट आग को ढकते हुए एक फोम की तरह की परत बना देता है, यह परत आग तक ऑक्सीजन को नहीं जाने देती है जिससे आग बुझ जाती है
- यह अग्निशामक तापमान को नियंत्रित नहीं करता है, अतः आग के पुनः भड़कने की संभावना बनी रहती है



कार्बन डायऑक्साइड वाले अग्नि शामक

- इस प्रकार का अग्नि शामक श्रेणी B तथा C आग में उपयोगी होता है
- यह अग्नि शामक कार्बन डायऑक्साइड गैस के माध्यम से ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित कर देता है जिससे आग बुझ जाती है
- यदि हम इस अग्नि शामक का उपयोग बंद कमरे में करते हैं तो उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक हो सकता है
- यह अग्निशामक तापमान को नियंत्रित नहीं करता है अतः ऐसे पदार्थ जिसमें अधिक तापमान आग का कारण होता है वहां यह कम प्रभावी होते हैं



गीले रसायन वाले अग्नि शामक

- इस प्रकार का अग्नि शामक श्रेणी F आग में उपयोगी होता है
- इस अग्नि शामक में गीले रसायन के रूप में पोटैशियम एसीटेट का प्रयोग किया जाता है
- यह रसायन जलते हुए तेल के संपर्क में आकर उसे ठंडा तथा गाढ़ा कर देता है
- इसके प्रयोग से तेल की सतह पर फोम जैसी परत बन जाती है जो आग तक ऑक्सीजन पहुँचाने से रोक देती है तथा आग बुझ जाती है
- यह अग्नि शामक तेल/ वसा के तापमान को भी काम कर देता है, अतः आग के पुनः लगने की संभावना कम हो



अग्नि के प्रकार तथा प्रयुक्त होने वाले अग्नि शामक

Type Extinguisher	CLASS A	CLASS B	CLASS C	CLASS D	Electrical	CLASS F	Comments
	Combustible materials (e.g. paper & wood)	Flammable liquids (e.g. paint & petrol)	Flammable gases (e.g. butane and methane)	Flammable metals (e.g. lithium & potassium)	Electrical equipment (e.g. computers & generators)	Deep fat fryers (e.g. chip pans)	
Water	✓	✗	✗	✗	✗	✗	Do not use on liquid or electric fires
Foam	✓	✓	✗	✗	✗	✗	Not suited to domestic use
Dry Powder	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Can be used safely up to 1000 volts
CO ₂	✗	✓	✗	✗	✓	✗	Safe on both high and low voltage
Wet Chemical	✓	✗	✗	✗	✗	✓	Use on extremely high temperatures

अग्निशमक यंत्र का उपयोग करने का तरीका

आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करते समय P.A.S.S.



Pull The Pin- पिन को खींचें।



SWEEP SIDE TO SIDE

Side - सावधानी से आग की तरफ बढ़ते हुए, बुझाने वाले यंत्र के पाइप को आग के आधार की ओर रखें और आगे बढ़ें। आग के फैलने का क्षेत्र देखें, अगर आग फिर से जलती है, तो प्रक्रिया दोहराएं।

**अग्निशमक
को उपयोग
करने का
तरीका**

Aim The Fire Base- आग के आधार पर बुझाने वाले नोजल (या नली) को इंगित करें।



AIM AT THE BASE OF FIRE

**Squeeze The Lever
Above The Handle -** बुझाने वाले यंत्र को चलाने के लिए हैंडल को दबाएँ।



SQUEEZE THE LEVER

LET'S


WATCH

आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने वाली प्रतिक्रियाएँ

अग्नि शामक
यन्त्र का प्रयोग



फायर हाईड्रेंट
तथा होज़ रील
का उपयोग करें



सीढ़ियों का
प्रयोग करें



आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने वाली प्रतिक्रियाएँ-

फायर अलार्म
चालू करें




आपातकालीन
नंबर 112 पर



अग्नि रोधी
कम्बल का प्रयोग





Time: 0.3



सावधानियां

- आपातकालीन उपकरणों में किसी भी प्रकार की बाधा
- आपातकालीन चिन्हों तथा संकेतकों का अनुसरण करें
- सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए इमारत से बाहर आने का प्रयास करें
- तत्काल अग्निशमन विभाग तथा एम्बुलेंस को सूचित करें



स्प्रिंकलर सिस्टम

स्प्रिंकलर सिस्टम, आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए अग्नि सुरक्षा इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार डिजाइन किए गए पाइपिंग की एक प्रणाली है, इस प्रणाली में पर्याप्त और विश्वसनीय जल आपूर्ति, और विशेष रूप से आकार के पाइपिंग और स्प्रिंकलर का नेटवर्क शामिल है; इसमें सिस्टम के चालू होने पर अलार्म को क्रियान्वित करने के लिए एक डिवाइस और नियंत्रण वाल्व भी शामिल है।




**अग्नि दुर्घटना में PRV द्वारा उठाए जाने
वाले कदम**

व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रिहायशी भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी भवन में आग लगने पर

सूचित किए जाने वाले अधिकारी/ विभाग/ कार्यालय:

- अग्निशमन विभाग
- थाना प्रभारी
- क्षेत्राधिकारी
- अपर पुलिस अधीक्षक
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
- एम्बुलेंस
- जिलाधिकारी नियंत्रण कक्ष
- विद्युत विभाग



व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रिहायशी भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी भवन में आग लगने पर

- सूचना प्राप्त होते ही 4 चार पहिया तथा 2 दो पहिया वाहन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे
- घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय थाने के 4w के प्रभारी द्वारा दूरभाष सूचनाकर्ता से संपर्क कर उससे नम्रता पूर्वक घटना की जानकारी प्राप्त करते हुए उसे सुरक्षा का बोध कराएं
- समस्त 4w/ 2w पर नियुक्त समस्त MDT संचालकों द्वारा MDT पर सूचना को Acknowledge, en-route किया जाएगा तथा घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना देकर



व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रिहायशी भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी भवन में आग लगने पर

स्थानीय थाने के 4W के प्रभारी द्वारा अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से घटनास्थल पर पहुंचते ही घटना, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान के विषय में निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की जाएगी

- आग किस भवन में लगी है
- यदि व्यवसायिक प्रतिष्ठान में लगी है तो व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विवरण यथा किस वस्तु के निर्माण से सम्बन्धित है
- भवन के आस पास कोई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप या अन्य ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ उत्पादन की फैक्ट्री या गोदाम तो नहीं है
- आग की तीव्रता क्या है एवं आग बढ़ने पर क्या क्षति हो सकती है

व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रिहायशी भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी भवन में आग लगने पर

- उक्त समस्त जानकारी को 112 के जनपद नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी एवं यथासंभव अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराएं एवं आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधनों यथा यातायात पुलिस आदि हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष को सूचित करें
- 4W के प्रभारी द्वारा अन्य PRV के कर्मचारीगण के सहयोग से घटनास्थल पर एकत्रित भीड़ को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा, यदि घटनास्थल के आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ से लदा टैंकर/वाहन खड़ा है तो उसे सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा
- यदि घटनास्थल के आसपास कोई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान सरकारी या गैर-सरकारी या ऐसा प्रतिष्ठान जो ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ से सम्बन्धित हो तो आग को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर उस तरफ बढ़ने से यथासंभव रोका जाएगा; जिस भवन में आग लगी हो उसे सूझबूझ का परिचय देते हुए खाली कराएं

व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रिहायशी भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी भवन में आग लगने पर

- आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति बंद कराने हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष को सूचित करें
- घटना में यदि कोई व्यक्ति घायल है तो उसे प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना कराएं
- यदि घटना में मृत्यु हुई है तो शव एवं घटनास्थल को सुरक्षित करें
- भवन के सामानों की अराजक तत्वों से सुरक्षा करें
- मौके पर मौजूद PRV कर्मचारीगण द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त घटनास्थल पर उत्पन्न स्थिति के अनुरूप स्वविवेक से जनहित एवं न्यायहित में आवश्यक अतिरिक्त कार्यवाही करें
- आग की स्थिति की सूचना जनपद नियंत्रण कक्ष को लगातार प्रदान करें तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधनों जैसे फायर विमेन एम्बुलेंस तथा

व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रिहायशी भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी भवन में आग लगने पर

- 4W के MDT संचालक के द्वारा घटनास्थल एवं अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित करें
- स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष एवं अग्निशमन विभाग के घटनास्थल पर पहुंचने पर पीड़ितों के सामान तथा समस्त सूचनाओं को स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष एवं अग्निशमन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को हस्तांतरित करें
- 4W के MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में ATR प्रेषित की जाएगी एवं कानन व्यवस्था के



खेत अथवा जंगल में आग लगाते तब

सूचित किए जाने वाले अधिकारी/ विभाग/ कार्यालय

- थाना प्रभारी
- क्षेत्राधिकारी
- अपर पुलिस अधीक्षक
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
- एम्बुलेंस
- अग्निशमन विभाग
- जिलाधिकारी नियंत्रण कक्ष
- विद्युत विभाग
- वन विभाग

खेत अथवा जंगल में आग लगाते तब

- सूचना प्राप्त होते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे
- घटना की सूचना प्राप्त होते ही सूचनाकर्ता से संपर्क कर उससे नम्रता पूर्वक घटना की जानकारी प्राप्त करते हुए उसे सुरक्षा का बोध कराएं
- समस्त 4W/ 2W पर नियुक्त समस्त MDT संचालकों द्वारा MDT पर सूचना को Acknowledge, en- route किया जाएगा तथा घटनास्थल पर पहुंचते ही Arrived करने की कार्यवाही की जाएगी

खेत अथवा जंगल में आग लगने पर

- PRV कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचते ही वहां उपस्थित व्यक्तियों के सहयोग से घटना, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान के विषय में निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की जाएगी:

आग लगने का स्थान

यदि आग खेत में लगी है तो क्या फसल सूखी है एवं वहां तक पहुंचने का रास्ता एवं आसपास स्थित जल स्रोत आदि

जंगल में आग लगी है तो पहुँचने का रास्ता एवं जलस्रोत आदि

खेत अथवा जंगल में आग लगने पर

- उक्त समस्त जानकारी को 12 जनपद नियंत्रण कक्ष प्रभारी, स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी एवं यथासंभव अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराएं।
- आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल एवं अन्य संसाधनों हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष को सूचित करें
- आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति बंद कराने हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष को सूचित करें
- एकत्र भीड़ को सुरक्षित स्थान पर भेजें एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से आग के विस्तार को यथासंभव रोकने का प्रयास करें
- यदि घटनास्थल के आसपास विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ का कोई गोदाम या फैक्ट्री है तो उस दिशा में आग बढ़ने से रोकने का यथासंभव प्रयास करें

खेत अथवा जंगल में आग लगने पर

- घटना में यदि कोई व्यक्ति घायल है तो उसे प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना कराएं
- यदि घटना में मृत्यु हुई है तो शव एवं घटनास्थल को सुरक्षित करें
- MDT के द्वारा घटनास्थल एवं अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित करें
- स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष एवं अग्निशमन विभाग के घटनास्थल पर पहुंचने पर पीड़ितों के सामान तथा समस्त सूचनाओं को स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष एवं अग्निशमन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को हस्तांतरित करें
- 4W के MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में ATR प्रेषित की जाएगी एवं कानून व्यवस्था के सामान्य होने पर घटनास्थल से मुक्त होंगे

PRV द्वारा अपने गश्त क्षेत्र में जागरूकता फैलाने हेतु प्रमुख बिन्दु

- बच्चों के पहुँच से माचिस, स्टोव तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थ दूर रखें
- जलते हुए स्टोव या लैंप में मिट्टी का तेल न भरे
- धुँएँ से घिरे होने पर अपने नाक और मुँह को गीले कपड़े से ढँक लें
- मोमबत्ती, चिराग, अंगीठी आदि का इस्तेमाल सुरक्षित तथा खुले स्थान पर करें
- पुआल, कंड़ों व चूल्हे की लकड़ियां घर से बाहर और अधिक दूरी पर रखें
- घी या तेल की आग को बालू या मिट्टी से ढक कर



PRV द्वारा अपने गश्त क्षेत्र में जागरूकता फैलाने हेतु प्रमुख बिन्दु

- हुक्का, चिलम, बीड़ी व सिगरेट पीने के बाद उसे अच्छी तरह से बुझाएं
- चूल्हे की राख को पूरी तरह ठंडा करके फेंकिए
- रसोई घर अथवा जानवर बाँधने की जगह की छत अगर फूस की है तो उसके अंदर की ओर मिट्टी का लेप लगाइये
- गैस चूल्हे को हमेशा गैस सिलेंडर की अपेक्षा ऊंची जगह पर रख कर खाना बनाएं
- गैस लीक होने पर और इस्तेमाल के बाद सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दें



PRV द्वारा अपने गश्त क्षेत्र में जागरूकता

फैलाने हेतु प्रमुख बिन्दु

- आतिशबाजी घरों और खलियानों से कम से कम 500 फीट की दूरी पर करें
- खलिहान व मकान रेलवे लाइन से कम से कम 100 फीट की दूरी पर बनाएं
- खेत में फूस तथा पराली न जलाएं
- सिगरेट, बीड़ी का प्रयोग न करें/ बिना बुझाई बीड़ी या सिगरेट के टुकड़ों को लापरवाही से न फेंकें
- कटी हुई फसलों को बिजली के खम्भों के निकट या बिजली के तारों के नीचे न रखें
- ट्रैक्टर के साइलेंसर तथा अन्य कृषि उपकरणों से



केस स्टडी

- इवेंट नं - P06041900750
- कॉलर ने क्या कहा



- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मि के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

घटना का विवरण

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P06041900750	06-04-2019 03:39:42	06-04-2019 03:42:21	--
District	Police Station	Area	Tehsil
FAIZABAD	KHANDASA	FZD-AREA-RURAL	--
Event Type	Event Sub Type	Incident Address	
ACC_FIRE	FIRE_INDUS_BLDS	BAKCHUNA NEAR- MUHULI SCHOOL SE PASCHIM SIDE FAIZABAD.....FZD-MILKIPUR	
Caller Name	CallerNumber	Caller Address	Caller Type
SATISH	8174984478	GENERAL

Remarks	CO Name(CO id)
# LBS.....CALLER NUMBER:8174984478बिजली से आग लगी हुई है गाँव में १० मिनट से लगी है कोई फसा नहीं हैBAKCHUNA NEAR- MUHULI SCHOOL SE PASCHIM SIDE FAIZABAD.....FZD-MILKIPUR,INFO TO PRV - FZD0946,INFO TO ROIP, INFO TO SHO SIR ,INFO TO ROIP ,INFO TO FIRE ,HANDLED,MAUKE PR PRV 0945 IC KHANDASA MY FORCE V FIRE SERVICE MAUKE PR MAUJOOD HAI,AAG KAABU ME HAI BUJHANE KA PRAYAS KIYA JA RHA HAI. AGRIM KARAYAVAHU HETU GHATNASTHAL IC OP KHANDASA KO SUPURD KIYA GAYA.MATTER KI JANKARI JARIYE SET PS KHANDASA V JARIYE MOBILE SHO KHANDASA KO AWAGAT KARA,NFO TO TANGO I	PRIYA DIXIT (557173)

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़ित पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगा ?

अग्नि सम्बन्धी क़ानूनी प्रावधान

भारतीय दण्ड संहिता (IPC)

- **धारा 435** - सौ रुपए का या (कृषि उपज की दशा में) दस रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
- **दण्ड** - सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
- **धारा 436** - गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि
- **दण्ड** - 10 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना
- **धारा 437** - तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि
- **दण्ड** - 10 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना

अग्नि सम्बन्धी क़ानूनी प्रावधान

- **लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 धारा 4** - अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान करने वाली रिष्टि
- **दण्ड** - 1 से 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना
- **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 3** - जीवन और संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट करने करने के लिए
- **दण्ड** - 10 वर्ष तक का आजीवन कारावास या जुर्माना
- किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक द्वारा विस्फोट करने पर
- **दण्ड** - मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास या जुर्माना

अग्नि सम्बन्धी क़ानूनी प्रावधान

- **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 4** - विस्फोट करने के प्रयास के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के लिए, विस्फोटक रखने या बनाने के लिए
- **दण्ड** - 10 वर्ष तक का आजीवन कारावास या जुर्माना
- **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम** - संदिग्ध परिस्थिति में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए
- **दण्ड** - 10 वर्ष तक का आजीवन कारावास या जुर्माना
- **धारा 6** - दुष्प्रेरकों को उपरोक्त दण्ड

अग्नि सम्बन्धी क़ानूनी प्रावधान

- **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 9 ख** - नियमों के उल्लंघन अथवा लाइसेंस का उल्लंघन में विस्फोटक का निर्माण आयात तथा निर्यात
- **दण्ड** - 3 वर्ष तक का कारावास या 5000 तक जुर्माना या दोनों
- **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम** - नियमों या अन्य लाइसेंस का उल्लंघन या कब्जे में रखना
- **दण्ड** - दो वर्ष तक का कारावास या 3000 तक जुर्माना या दोनों
- **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 285** - अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षा पूर्ण आचरण
- **दण्ड** - 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपए तक जुर्माना या दोनों
- **धारा 286** - विस्फोटक पदार्थ के बारे में आचरण

अग्नि सम्बन्धी मामलों में PRV कर्मियों को आने वाली समस्याएँ

- आक्रोशित भीड़ द्वारा PRV कर्मियों का बहिष्कार किया जाना
- महिला पुलिस कर्मियों का समय पर घटना स्थल पर ना पहुंचना (कई घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति महिला एवं/ अथवा बालिका भी होती है)
- पुलिस बल/ अग्नि शमन विभाग आदि का ससमय न पहुंचना
- कार्यवाही के समय पीड़ित द्वारा पारिवारिक सदस्यों का पक्ष लेकर कार्यवाही करने से रोकना

निष्कर्ष

सन्दर्भ

क्र० सं०	विभाग/संस्था/कार्यालय	यूआरएल/प्रकाशन/रिपोर्ट
1	Madhya Pradesh	http://www.mpsdma.mp.gov.in/
2	NIDM	https://nidm.gov.in
3	NCRB	NCRB reports http://ncrb.gov.in/

112 आपात सेवा सोशल मीडिया



धन्यवाद!